अन्य अनुदेशः—

1. प्रस्ताव कीं प्राप्ति पर नोडल अधिकारी प्रयोक्ता एजेन्सी को
2. इसकी प्राप्ति की रसीद देगा जिसमे प्रस्ताव का नाम क्षेत्र हेक्टेयर में कम संख्या और प्राप्ति की तारीख का उल्लेख होगा।
3. यदि उपर दिया गया स्थान किसी सूचना को निर्दिष्ट करने के लिए पर्याप्त नही है। कृपया अलग से ब्यौरा/दस्तावेजो को संलग्न करें।
4. प्रस्तावों को केन्द्र सरकार को अग्रेषित करते समय पर्यावरण एवं वन मंत्रायल भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी स्पष्टीकरण के साथ पठित उपर्युक्त निर्धारित फार्म के अनुसार मामले के सभी पहलुओं पर पूर्ण ब्यौरा दिया जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधुरे प्रस्तावों पर विचार नही किया जाएगा।
5. राज्य सरकार समय सीमा के भीतर प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्तुत करेगी। यदि अगषित करनें में विलम्ब हुआ तो इसके कारणों को अग्रेषण/पत्र में दिया जाना चाहिए।